

राजस्थान सरकार  
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

क्रमांक: प0 9 (30)सम्पर्क/99/  
कोड नं.— 127069  
सम्पादक,  
दैनिक, जलते दीप  
ई-287, लालकोठी,  
जयपुर, राज.।

जयपुर, दिनांक:—

**विषय:— डी.ए.वी.पी. दर दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 तक**  
(एक जनवरी दो हजार पच्चीस से इकतीस दिसम्बर दो हजार पच्चीस तक)

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके समाचार पत्र को राजकीय विज्ञापनों के लिए दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 तक की अवधि के लिए डी.ए.वी.पी.दर **रूपये 16 व पैसे 86 (अक्षरे रूपये सौलह एवं पैसे छियासी मात्र)** प्रति वर्ग सेन्टीमीटर की दर से स्वीकृत की जाती है।

सजावटी विज्ञापनों के लिए 15 प्रतिशत कम करके भुगतान किया जायेगा।  
उपरोक्त दर सरचार्ज सहित स्वीकृत की जाती है।

**(यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।)**

नोट:— सम्पादक/प्रकाशक/मैनेजर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे विज्ञापन बिलों के भुगतान हेतु बिल के साथ इस आदेश की छायाप्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें। इसके अभाव में विज्ञापन बिलों का भुगतान नहीं किया जायेगा। डी.ए.वी.पी. दर में किसी प्रकार का संशोधन होने पर तत्काल विभाग को सूचित करें।

उप निदेशक (पंजीयन)  
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,  
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:—

1. विज्ञापन शाखा।
2. कम्प्यूटर शाखा।
3. संवाद शाखा।
4. गार्ड फाईल (डीएवीपी दर पत्र के अनुसार प्रसार संख्या 25000)

उप निदेशक (पंजीयन)

